न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
14/03/2014	10–11–2014	30–05–2018

(9)

1– ईशाक पुत्र सम्पत पुत्र उमराव
2– अलीमौहम्मद पुत्र सम्पत पुत्र उमराव
3– कालू पुत्र सम्पत पुत्र उमराव
4– सुमेर खां पुत्र सम्पत
5– जुम्मा पुत्र उमराव
6– राजखां पुत्र जैनू
7– रहमान खां पुत्र जैनू
8– रूदार पुत्र जैनू
9– खडडी पुत्र जैनू जाति समस्त मेव निवासीयान ग्राम घाटीका बास बाघोडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0

अपीलान्टस

बनाम

1–नसरी पुत्री सुफेदा पत्नि नसरू खां जाति मेव निवासी ग्राम घाटीका बास हाल गांव बिसरू तहसील पुन्हाना जिला नूह मेवात हरियाणा
2–असरी पुत्री सुफेदा पत्नि रसीद खां जाति मेव निवासी ग्राम घाटीका बास हाल गांव बिसरू तहसील पुन्हाना जिला नूह मेवात हरियाणा
3–तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर किशनगढबास जिला अलवर, राज0

रेस्पाडेन्टान्

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर किशनगढबास का निर्णय दिनांक 21.10.2016 जिसके द्वारा सनद पट्टा नं0 394 दिनांक 06.10.1982 को बुद्वसिंह पुत्र घोसी मेव को जारी किया गया, को निरस्त करने बाबत्।

उपस्थितः–

01. श्री जर्नादन शर्मा –वकील अपीलान्टस
02. श्री जय कृष्ण गुप्ता – वकील रैस्पॉडेन्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर किशनगढबास के आदेश दिनांक 21.10.2016 जिसके द्वारा सनद पट्टा नं0 394 दिनांक 06.10.1982 को बुद्वसिंह पुत्र घोसी मेव को जारी किया गया से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 21.10.2016 जिसके द्वारा सनद पट्टा नं0 394 दिनांक 06.10.1982 का है जिसकी जानकारी अपीलान्टान को दिनांक 04.10.2012 को ही अपीलान्टान अनपढ व गांव के निवासी है जो विवादित आराजी पर सदैव से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड के संबंध में जानकारी करने की आवश्यकता

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

नही समझी दिनांक 04.10.2012 को राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया तब जानकारी हुई नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 05.10.2012 को नकल प्राप्त की गई। दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–प्रत्र अलग से प्रस्तुत है। साबिक आराजी खसरा नम्बर 196 का कुल रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा था। जिसमे 1 बीघा 7 बिस्वा आराजी उमराव पुत्र मूलू मेव व 1 बीघा 6 बिस्वा बुद्वसिंह पुत्र घोसी मेव की पट्टेदारी की आराजी थी। जिसका पट्टा कबूलियत उमराव व बुद्वसिंह को अलग–अलग जारी किया गया उमराव पुत्र मूलू मेव का व बुद्वसिंह पुत्र घोसी मेव का देहान्त हो चुका है। अपीलान्टान उमराव पुत्र मूलू मेव के वारिसान है तथा बुद्वसिंह लाऔलाद फौत हो गया। बुद्वसिंह का भाई सफेदा बतलाया गया है तथा वर्तमान रैस्पॉडेन्ट सफेदा की पुत्रीयां है जिनके नाम से उपरोक्त आराजी का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो गया। सम्मत 2015 जब कबूलियत का पट्टा प्राप्त हुआ अपीलान्टान के पूर्वज व उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्टान व रैस्पॉडेन्ट अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। अपीलान्टान द्वारा आराजी खसरा नं0 196 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा के सम्पूर्ण रकबे का सनद पट्टा बुद्वसिहं पुत्र घोसी को जारी किया गया है। जो विधि विरूद्व है व मौका कब्जा के विपिरित है। क्योकी बुद्वसिंह पुत्र घोसी की मात्र 1 बीघा 6 बिस्वा ही आराजी थी। सम्पूर्ण आराजी का सनद पट्टा जारी नही किया जा सकता था। अतः अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर किशनगढ का आदेश दिनांक 06.10.1982 जिसके द्वारा सनद पट्टा संख्या 394 दिनांक 06.10.1982/21.10.1982 आराजी खसरा नं0 196 रकबा 2 बीधा 13 बिस्वा ग्राम बाघोडा के संबंध में जारी किया गया है को अपीलान्ट के हिस्से 1 बीघे 7 बिस्वा की हद तक खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेट को बहस हेतु अंतिम मौका देने के बावजूद वकील रेस्पोडेट अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 21.10.1982 के विरूद्ध दिनांक 20.11..2012 को इस न्यायालय में पेश की है जो करीब तीस वर्ष विलम्ब से पेश की है। विलम्ब की अवधि साधारण नहीं है फिर भी प्रार्थना पत्र दफा 5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है, तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर किशनगढबास द्वारा बुधसिंह को मौका कब्जा व रिकॉर्ड के मुताबिक 12 बीधा 19 बिस्वा का पट्टा दिया गया है जिसमें खसरा नं0 186 रकबा 2 बीधा 13 बिस्वा भी शामिल है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी की नकालात का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर बुधसिंह का ही कब्जा बताया गया है। बुधसिंह ही विवादित आराजी को जोत बो रहा था। तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत निर्णय है। अतः तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर किशनगढबास का आदेश दिनांक 21.10.1982 तथा पट्टा संख्या 394 दिनांक 06.10.1982/21.10.1982 यथावत रखा जाता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 30–05–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)